संख्या-44/2026/158/60-1-2026
(सी-1985630) (पार्ट-1)

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक:: 21 अक्टूबर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु केन्द्र पुरोनिधानित योजना मिशन वात्सल्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक् अपने पत्र संख्या-1453/निदे0म0क0/प्रोबे0/मि0वा0/बजट-21/2026-27, दिनांक 08.10.2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में केन्द्र पुरोनिधानित मिशन वात्सल्य योजना (के०.+रा०.) की विभिन्न उप योजनाओं हेतु चतुर्थ किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी Mother Sanction की धनराशि रू० 29,16,60,846/- तथा संगत राज्यांश की धनराशि रू० 19,44,40,564/- अर्थात कुल धनराशि (के०.+रा०.) रू० 48,61,01,410/- (रुपये अड़तालिस करोड़ इकसठ लाख एक हजार चार सौ दस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 एवं 26.09.2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशालय, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(5) निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) योजनान्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के संबंध में निदेशालय, महिला कल्याण स्वयं संतुष्ट हो लेगा।

(7) निदेशालय, महिला कल्याण द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों में यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना के अन्तर्गत आच्छादित सभी मदों/घटकों का उल्लेख स्पष्ट रूप से वित्तीय स्वीकृति में करते हुए SNA को प्रेषित की जायेगी तथा SNA द्वारा विभिन्न स्तरों पर (इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी तक) लिमिट आवंटित की जायेगी तथा वित्तीय स्वीकृति की प्रतिलिपि साइबर ट्रेजरी के वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(8) समस्त बिलों का परीक्षण इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एवं जनपदीय एडमिन द्वारा किया जायेगा, अतः SNA स्तर पर पुनः परीक्षण की आवश्कता नहीं होगी। SNA द्वारा मात्र समेकित बिल का अग्रसारण किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष:2235021020106 (बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	07 मानदेय	6,72,00,000 (रुपये छह करोड़ बहत्तर लाख मात्र)
2	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	08 कार्यालय व्यय	11,25,000 (रुपये ग्यारह लाख पच्चीस हजार मात्र)
3	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	09 विद्युत देय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	10 जलकर/जल प्रभार	3,27,512 (रुपये तीन लाख सत्ताईस हजार पाँच सौ बारह मात्र)
5	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
6	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	13 टेलीफोन पर व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
7	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	17,00,000 (रुपये सत्रह लाख मात्र)
8	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	29 अनुरक्षण	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
9	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	42 अन्य व्यय	6,00,000 (रुपये छह लाख मात्र)
10	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3,21,268 (रुपये तीन लाख इक्कीस हजार दो सौ अड़सठ मात्र)
11	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	7,50,000 (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र)
12	049	2235021020106 बाल कल्याण समिति (के.60/रा.40-के.+ रा.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	38,30,100 (रुपये अड़तीस लाख तीस हजार एक सौ मात्र)
	कुल			7,91,53,880 (रुपये सात करोड़

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

				इक्यानबे लाख तिरेपन हजार आठ सौ अस्सी मात्र)

लेखाशीर्ष:2235021020107 (स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमन्द बालकों के लिये खुले आश्रय गृह (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020107 स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमन्द बालकों के लिये खुले आश्रय गृह (के.60/रा.40-के.+ रा.)	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1,32,79,317 (रुपये एक करोड़ बत्तीस लाख उनासी हजार तीन सौ सत्रह मात्र)
	कुल			1,32,79,317 (रुपये एक करोड़ बत्तीस लाख उनासी हजार तीन सौ सत्रह मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020112 (विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	45,00,000 (रुपये पैंतालीस लाख मात्र)
2	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	43,09,863 (रुपये तैंतालीस लाख नौ हजार आठ सौ तिरेसठ मात्र)
3	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	41 भोजन व्यय	30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र)
4	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		(के.60/रा.40-के.+ रा.)		
5	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	13,50,000 (रुपये तेरह लाख पचास हजार मात्र)
6	049	2235021020112 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण (के.60/रा.40-के.+ रा.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,40,96,532 (रुपये एक करोड़ चालीस लाख छियानबे हजार पाँच सौ बत्तीस मात्र)
	कुल			2,87,56,395 (रुपये दो करोड़ सत्तासी लाख छप्पन हजार तीन सौ पंचानबे मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020114 (किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020114 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन (के.60/रा.40-के.+ रा.)	61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	11,87,32,143 (रुपये ग्यारह करोड़ सत्तासी लाख बत्तीस हजार एक सौ तैंतालीस मात्र)
	कुल			11,87,32,143 (रुपये ग्यारह करोड़ सत्तासी लाख बत्तीस हजार एक सौ तैंतालीस मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020115 (बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020115	08	1,51,25,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	कार्यालय व्यय	(रुपये एक करोड़ इक्यावन लाख पच्चीस हजार मात्र)
2	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	09 विद्युत देय	1,66,67,000 (रुपये एक करोड़ छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र)
3	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1,01,67,500 (रुपये एक करोड़ एक लाख सड़सठ हजार पाँच सौ मात्र)
4	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3,61,06,629 (रुपये तीन करोड़ इकसठ लाख छह हजार छह सौ उनतीस मात्र)
5	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	92,30,373 (रुपये बानबे लाख तीस हजार तीन सौ तिहत्तर मात्र)
6	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	42 अन्य व्यय	3,41,66,667 (रुपये तीन करोड़ इकतालीस लाख छियासठ हजार छह सौ सड़सठ मात्र)
7	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	16,67,500 (रुपये सोलह लाख सड़सठ हजार पाँच सौ मात्र)
8	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,42,93,129 (रुपये एक करोड़ बयालीस लाख तिरानबे हजार एक सौ उनतीस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				मात्र)
9	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	33,33,333 (रुपये तैंतीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस मात्र)
10	049	2235021020115 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना(के.60/रा.40-के.+ रा.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5,99,24,345 (रुपये पाँच करोड़ निन्यानबे लाख चौबीस हजार तीन सौ पैंतालीस मात्र)
	कुल			20,06,81,476 (रुपये बीस करोड़ छह लाख इक्यासी हजार चार सौ छिहत्तर मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020121 (दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020121 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के.60/रा.40-के.+ रा.)	08 कार्यालय व्यय	59,935 (रुपये उनसठ हजार नौ सौ पैंतीस मात्र)
2	049	2235021020121 दत्तक ग्रहण संसाधन एजेन्सी (के.60/रा.40-के.+ रा.)	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	11,30,000 (रुपये ग्यारह लाख तीस हजार मात्र)
	कुल			11,89,935 (रुपये ग्यारह लाख नवासी हजार नौ सौ पैंतीस मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021020122 (किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना (के.60/रा.40-के.+ रा.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021020122	61	4,43,08,264

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना (के.60/रा.40- के.+ रा.)	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	(रुपये चार करोड़ तैंतालीस लाख आठ हजार दो सौ चौंसठ मात्र)
	कुल			4,43,08,264 (रुपये चार करोड़ तैंतालीस लाख आठ हजार दो सौ चौंसठ मात्र)
	महायोग	48,61,01,410 (रुपये अड़तालीस करोड़ इकसठ लाख एक हजार चार सौ दस मात्र)		

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-4-159-X-2026-27, दिनांक 21.10.2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित साइबर कोषागार।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।